



2026:AHC:184083

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 3267 सन् 2026

सनातन धर्म रक्षापीठ एवं अन्य

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) की ओर से अधिवक्ता : सतेन्द्र सिंह

प्रतिवादी(गण) की ओर से अधिवक्ता : आशुतोष कुमार संड, शासकीय अधिवक्ता, मोहित
सिंह, रवि कुमार सिंह

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

दिनांक: 10.08.2026 को सुरक्षित

दिनांक: 3.9.2026 को प्रदत्त

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान

1- पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री रीना एन. सिंह और श्री सतेंद्र सिंह, राज्य की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री मनीष गोयल, जिनकी सहायता विद्वान

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पंकज सक्सेना द्वारा की गई, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष कुमार संड तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवि कुमार सिंह को सुना गया ।

2- वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), प्रथम/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायाधीश एम.पी./एम.एल.ए., मथुरा द्वारा प्रकीर्ण आवेदन संख्या 1023 सन् 2025, कौशल किशोर ठाकुर जी बनाम सुरेश खन्ना, धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन, थाना-वृंदावन, जिला-मथुरा में पारित दिनांक 6.6.2025 के आदेश को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है और पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन प्रतिवादी संख्या 2-सुरेश खन्ना के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और प्रकरण की विवेचना करने के लिए था।

3- पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 6.6.2025 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से प्रथम दृष्टया न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन क्षेत्राधिकार के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के लिए धारा 175(3) **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**, के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, (जो उत्तर प्रदेश राज्य में कैबिनेट मंत्री हैं) दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से उद्भूत विवेचना में हस्तक्षेप करने हेतु। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 16.7.2024 के पत्र का संदर्भ दिया है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव को एक शुल्भा सिंघल (प्रतिवादी संख्या 3 की पत्नी, जो दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुख्य अभियुक्ता हैं) के आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कथित रूप से निर्देशित किया गया है। दिनांक 16.7.2024 का पत्र अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लखनऊ में लिखा गया था, जहाँ प्रतिवादी संख्या 2 का कार्यालय स्थित है और दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से उद्भूत विवेचना मेरठ में चल रही है। तथापि, पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 7.4.2022 में विवेचना वृंदावन, जिला मथुरा में स्थित संपत्ति से उद्भूत है।

4- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 7.4.2022 में आरोप के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 विवादित संपत्ति में अपने पिता का नाम दर्ज कराने में साधनभूत था, जो पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 की है। एक कूटरचित वसीयत सामने आई है, जिसके संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा में विधि-विज्ञान परीक्षण की गई और रिपोर्ट मेरठ सतर्कता विभाग को प्रस्तुत की गई। उपरोक्त तथ्यों के कारण, पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया और प्रतिवादी संख्या 3 को मेरठ के न्यायालय द्वारा समन किया गया है।

5- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लिखा गया दिनांक 16.7.2024 का पत्र विवेचना में हस्तक्षेप के समान होगा। मंत्रियों के कहने पर किया गया हस्तक्षेप माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विनीत नारायण बनाम भारत संघ, 1998 (1) एस.सी.सी. 226 और ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 (2) एस.सी.सी. 1** के प्रकरण में पारित निर्णय द्वारा विशेष रूप से वर्जित है और प्रस्तुत किया है कि यह विवादित नहीं है कि अपराध मथुरा में कारित नहीं किया गया था और लखनऊ में कारित किया गया था। तथापि, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 199 पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि उक्त अपराध का परिणाम मथुरा में सामने आया और उसी के परिणामस्वरूप, धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन आवेदन मथुरा के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6- पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएँ 12 और 13, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पत्र लिखे जाने के कथित कृत्य के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराएँ 61, 45 और 60 के साथ लागू होंगी।

7- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रथम दृष्टया न्यायालय के समक्ष उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, दिनांक 17.2.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को एक पत्र लिखा गया था, जो पेपर बुक के पृष्ठ 158 पर है। अपराध का परिणाम मथुरा में उत्पन्न होता है और इसलिए, विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार करने में विधि की दृष्टि से त्रुटि की है और इस प्रकार पुनरीक्षण स्वीकार किए जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 2 के कथित कृत्य के परिणामस्वरूप दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से उद्भूत लंबित विवेचना में विलंब और हस्तक्षेप हैं।

8- राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज सक्सेना की सहायता से विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री मनीष गोयल ने वर्तमान पुनरीक्षण का विरोध किया और कहा कि प्रथम दृष्टया न्यायालय ने आक्षेपित आदेश सही रूप से पारित किया है। वास्तव में, प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। विवादित पत्र दिनांकित 16.7.2024, जो पेपर बुक के पृष्ठ 131 पर है, किसी अपराध को गठित नहीं करता है। उपरोक्त पत्र केवल प्रतिवादी संख्या 3 की पत्नी द्वारा लिखे गए पत्र को गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव को विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अग्रसारित करता है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विवेचना में कोई हस्तक्षेप हुआ है। विशेष रूप से तब, जब पूर्व की दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में दिनांक 4.10.2024 को संबंधित न्यायालय के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और दिनांक 7.10.2024 को संज्ञान लिया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 3 को समन किया जा चुका है।

9- विद्वान अपर महाधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लिखे गए पत्र के संबंध में कोई परिणाम उत्पन्न नहीं होता है। अतः, पुनरीक्षण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि केवल संपत्ति का स्थान, जो पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट का विषय है, मथुरा के न्यायालय की क्षेत्राधिकार निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता है। न्यायालय का क्षेत्राधिकार सामान्यतः वहीं होता है जहाँ अपराध कारित किया जाता है, यह विधि का स्थापित सिद्धांत है।

10- प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. संड ने विद्वान अपर महाधिवक्ता के तर्कों को अपनाया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने उचित आदेश पारित किया है, क्योंकि विचारण न्यायालय को इस मामले में क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 16.7.2024 को लिखे गए पत्र के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश सरकार के अनु-सचिव द्वारा दिनांक 24.10.2024 को एक पत्र लिखा गया, जिसके द्वारा आगे की जांच हेतु आवेदन अग्रेषित किया गया, जो कि पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 7.4.2022 में दिनांक 4.10.2024 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने तथा तत्पश्चात संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 7.10.2024 को संज्ञान लिए जाने के बाद था। अतः प्रतिवादी संख्या 2 के पत्र के अनुसरण में कोई परिणाम उत्पन्न नहीं होता है।

11- पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि प्रारंभ में दिनांक 7.4.2022 को कई व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनमें प्रतिवादी संख्या 3-श्री निर्विकार सिंघल भी शामिल हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख, 166, 420, 467, 468, 471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1988 की धारा 7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट सतर्कता विभाग द्वारा थाना-मेरठ सेक्टर (सतर्कता विभाग) में दर्ज कराई गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने यह जानते हुए कि संपत्ति मानव सेवा संघ की है, मानव सेवा संघ आश्रम, वृंदावन की संत कुट्टी के स्थान/संपत्ति का पंजीकरण अपने पिता अर्थात् जगदीश प्रसाद के नाम पर नगर पालिका परिषद, वृंदावन, मथुरा के अभिलेखों में करा दिया। प्रतिवादी संख्या 3 ने कुमारी मुक्तेश्वरी की एक कूटरचित वसीयत भी तैयार करवाई है, जो मानव सेवा संघ की निवासी तथा निर्विकार सिंघल की निकट सहयोगी हैं, जिसका उद्देश्य आश्रम मानव सेवा संघ में स्थित संत कुट्टी को हड़पना तथा संत कुट्टी की संपत्ति और विद्युत कनेक्शन को अपने पिता अर्थात् जगदीश प्रसाद के नाम पर हस्तांतरित करके मानव सेवा संघ आश्रम की संपत्ति को क्षति पहुंचाना था और इस प्रकार जानबूझकर उत्पीड़न किया तथा आपराधिक कृत्य में भाग लिया और प्रतिवादी संख्या 3 मानव सेवा संघ आश्रम के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित होने का दोषी है।

12- उपरोक्त दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम नहीं था। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 पूर्व की दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा उसके पश्चात् प्रस्तुत किए गए आरोप-पत्र में अभियुक्त है। पक्षकारों के मध्य यह भी विवादित नहीं है कि उपरोक्त दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में विवेचना मेरठ में आगे बढ़ाई गई और दिनांक 4.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध मेरठ के न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया तथा आगे मेरठ के न्यायालय ने संज्ञान लिया और अभियुक्त-प्रतिवादी संख्या 3 को दिनांक 7.10.2024 के समन आदेश द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, मेरठ के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष समन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13- उपरोक्त उल्लिखित आवेदन में यह आगे आरोप लगाया गया है कि राकेश कुमार, प्रतिवादी संख्या 3 का सगा भाई है (प्रतिवादी संख्या 3 उपरोक्त दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त है) और राकेश कुमार, प्रतिवादी संख्या 2 का मित्र है (प्रतिवादी संख्या 2 शाहजहांपुर का निवासी है)। राकेश कुमार ने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक प्रत्यावेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 ने आगरा के सतर्कता विभाग और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा के कार्यकरण पर प्रश्न उठाते हुए एक पत्र लिखा और जांच (दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में) को आगरा सतर्कता विभाग से मेरठ सतर्कता विभाग में स्थानांतरित करा दिया और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा की जांच पर संदेह व्यक्त किया। प्रतिवादी संख्या 2 ने आगे (लिखित रूप में) यह संस्तुति की कि विवादित दस्तावेज पर हस्ताक्षर का सत्यापन राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा के बजाय केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा कराया जाए, जिसके कारण जांच दो वर्ष तक विलंबित हुई। इसके अतिरिक्त, श्रीमती सल्भा सिंघल (निर्विकार सिंघल-प्रतिवादी संख्या 3, की पत्नी) के दूसरी बार किए गए प्रत्यावेदन पर केंद्रीय विधि विज्ञान जांच एजेंसी, आगरा के संबंध में लिखित रूप में संदेह उठाते हुए पत्र लिखकर, धारा 173 (8) दं.प्र.सं., 1973 के अधीन जांच में हस्तक्षेप किया, ताकि जांच में विलंब किया जा सके। यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 एक कैबिनेट मंत्री हैं और मानव सेवा संघ आश्रम से संबद्ध नहीं हैं तथा यह प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जांच में हस्तक्षेप करने और विलंब करने का स्पष्ट प्रकरण है।

14- पुनरीक्षणकर्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175 (3) के अधीन (संक्षेप में, इसके पश्चात् “भा.ना.सु.सं., 2023 ” के रूप में संदर्भित) विशेष ए.सी.जे.एम./एम.पी. एम.एल.ए., मथुरा के न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध बी.एन.एस. एस, 2023 की धाराओं 201, 198, 61 और भा.न्या.सं., 2023 की धाराओं 45-60 तथा भ्रष्टाचार निवारण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम, 1988 की धाराओं 12, 13(1)(घ), 13(2) और 17ए तथा अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने की प्रार्थना के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया। पुनरीक्षणकर्ता के उपरोक्त आवेदन में निष्पक्ष और पक्षपातरहित विवेचना किए जाने की भी प्रार्थना की गई, ताकि हस्तक्षेप एवं भ्रष्टाचार की सीमा का पता लगाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्त न्याय में बाधा डालने और विधि के शासन का उल्लंघन करने के लिए विधिक परिणामों का सामना करे। भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 175 (3) का उपबंध नीचे उद्धृत किया गया है:-

“(3) धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, धारा 173 की उपधारा (4) के अधीन किए गए शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, तथा पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में किए गए प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, उपरोक्त रूप में ऐसी विवेचना का आदेश दे सकता है।”

15- प्रथम दृष्टया न्यायालय ने आक्षेपित दिनांक 6.6.2025 के आदेश द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन (भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 175(3) के अधीन) को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि मथुरा के संबंधित न्यायालय को पुनरीक्षणकर्ता के उक्त आवेदन पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 की जिस कृत्य के संबंध में शिकायत की गई है, वह मेरठ में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में था और विवेचक मेरठ का है तथा आगे की विवेचना मेरठ में चल रही है और प्रतिवादी संख्या 2 शाहजहांपुर का निवासी है तथा लखनऊ में कार्यरत है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित दिनांक 6.6.2025 के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि पूर्व की दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध विवाद का भाग बनने वाली अचल संपत्ति वृंदावन, मथुरा में स्थित है। आगे, विवेचना में विलंब और विवेचना में हस्तक्षेप के परिणाम जिला मथुरा की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न हुए। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 199 के अधीन प्रतिवादी संख्या 2 के कृत्य के परिणाम मथुरा में उत्पन्न हुए और इस प्रकार मथुरा के न्यायालय को पुनरीक्षणकर्ता के उपरोक्त आवेदन पर विचार करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

17- यह देखा जाना है कि आपराधिक विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण करने का क्षेत्राधिकार सामान्यतः उस न्यायालय में निहित होता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर अपराध कारित किया गया था, जैसा कि भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 197 के अधीन उपबंधित है। पुनरीक्षणकर्ता के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 (जिसके संबंध में यह आरोप है कि वह उत्तर प्रदेश राज्य में कैबिनेट मंत्री हैं) ने अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 16.7.2024 को एक पत्र लिखा और इस प्रकार दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की विवेचना में हस्तक्षेप किया और उसमें विलंब करवाया। आगे, प्रतिवादी संख्या 2 ने उपरोक्त दिनांक 16.7.2024 के पत्र के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 3 की पत्नी (प्रतिवादी संख्या 3, पूर्व की दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त है) के विवादित दस्तावेज/वसीयत की केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा जांच किए जाने हेतु आवेदन अग्रेषित किया। तत्पश्चात्, उत्तर प्रदेश सरकार के अनु-सचिव ने दिनांक 24.10.2024 के आदेश द्वारा धारा 173(8) दं.प्र.सं., 1973 के अधीन आगे की जांच प्रारंभ करने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए, विधि अनुसार सत्यापन हेतु विवादित दस्तावेज को भोपाल

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भेजने के संबंध में निर्देश जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप जांच (पूर्व की दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में) दो वर्ष तक विलंबित हुई।

18- भा.न्या.सं., 2023 की धारा 2 (24) के अधीन “अपराध” शब्द का अर्थ ऐसी कृत्य से है, जिसे भा.न्या.सं., 2023 या अन्य विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है। भा.न्या.सं., 2023 की धारा 2(24) नीचे उद्धृत है:-

“‘अपराध’-उप-खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं के सिवाय, ‘अपराध’ शब्द का अर्थ इस संहिता द्वारा दंडनीय बनाई गई वस्तु है, लेकिन-

(ए) अध्याय 3 में तथा निम्नलिखित धाराओं में, अर्थात् धारा 8 की उपधारा (2), (3), (4) और (5), धाराएं 9, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 119, 120, 123, धारा 127 की उपधारा (7) और (8), धाराएं 222, 230, 231, 240, 248, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 263, धारा 308 की उपधारा (6) और (7) तथा धारा 330 की उपधारा (2) में, “अपराध” शब्द का अर्थ इस संहिता के अधीन, या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कृत्य है; और

(बी) धारा 189 की उपधारा (1), धाराओं 211, 212, 238, 239, 249, 253 और धारा 329 की उपधारा (1) में, ‘अपराध’ शब्द का वही अर्थ होगा जब विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कृत्य उस विधि के अधीन छह माह या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से, चाहे जुर्माने सहित या उसके बिना, दंडनीय हो;”

19- एक बार जब विधि किसी कृत्य को भा.न्या.सं., 2023 या किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय घोषित करती है, तब उसे आपराधिक विधि के अधीन एक अपराध माना जाता है।

भा.न्या.सं., 2023 के अधीन सभी अपराधों की विवेचना, जांच, विचारण और अन्यथा कार्यवाही

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भा.ना.सु.सं., 2023 में निहित उपबंधों के अनुसार की जाएगी, यह धारा 4 के अधीन अधिदेशित है। आगे, भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 6 आपराधिक न्यायालयों की श्रेणीबद्धता के गठन की परिकल्पना करती है, अर्थात् (i) सत्र न्यायालय; (ii) प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट; (iii) द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट; (iv) कार्यपालक मजिस्ट्रेट। भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 7 के अनुसार, राज्य को सत्र खंडों में विभाजित किया गया है और आगे भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 9 यह उपबंधित करती है कि प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के उतने न्यायालय स्थापित किए जाएंगे, जितने राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 12 आगे यह उपबंधित करती है कि उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय-समय पर उस क्षेत्र/क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएँ परिभाषित कर सकता है, जिसके भीतर भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 9 या धारा 11 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी या किसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जिनसे वे क्रमशः भा.ना.सु.सं., 2023 के अधीन निहित हैं।

20- पुनरीक्षणकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के निर्देश के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 175(3) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त उपबंध यह परिकल्पित करता है कि कोई भी सशक्त मजिस्ट्रेट भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 175(1) से संदर्भित विवेचना का आदेश दे सकता है। भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 175(1) किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की संज्ञेय अपराध की विवेचना करने की शक्ति से संबंधित है, जिसे ऐसे थाने की सीमाओं के भीतर स्थानीय क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय को भा.ना.सु.सं., 2023 के अध्याय XIV के उपबंधों के अधीन जांच करने या विचारण करने की शक्ति होगी। भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 175(1) नीचे उद्धृत है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“(1) किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी ऐसे संज्ञेय प्रकरण की विवेचना कर सकता है, जिसकी स्थानीय क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय को, ऐसे थाने की सीमाओं के भीतर, अध्याय XIV के उपबंधों के अधीन जांच करने या विचारण करने की शक्ति होगी:

परंतु अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक से प्रकरण की विवेचना करने की अपेक्षा कर सकता है।”

21- बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 175(3) के अधीन शक्ति, दं.प्र.सं. की धारा 156(3) के अधीन शक्ति के समान है। बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 175(3) के अधीन मजिस्ट्रेट की उक्त शक्ति “उपरोक्त रूप में ऐसी विवेचना का आदेश दे” शब्दों द्वारा परिसीमित है और इसलिए, बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 175(3) के अधीन संबंधित न्यायालय की शक्ति बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 175(1) के अधीन अनुमत विवेचना तक सीमित है। **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा एस.पी. बनाम राजस्थान राज्य, 2001 (3) एस.सी.सी. 333** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 6 में अभिनिर्धारित किया है कि धारा 156 की उपधारा (3) में जो निहित है, वह उपधारा (1) में संदर्भित विवेचना का आदेश देने की शक्ति है, क्योंकि उपधारा (3) में “उपरोक्त रूप में ऐसी विवेचना का आदेश दे” शब्द स्पष्ट रूप से दूसरी उपधारा के संदर्भ में हैं।

22- यह आगे ध्यान दिया जाना है कि बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 175(1) के साथ पठित धारा 175(3) के अधीन संबंधित न्यायालय का क्षेत्राधिकार, इसलिए, बी.एन.एस.एस., 2023 के अध्याय XIV के अधीन निर्धारित अनुमत सीमाओं तक सीमित है। किसी अपराध का विचारण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने के लिए मजिस्ट्रेट/न्यायालय का क्षेत्राधिकार बी.एन.एस.एस., 2023 के अध्याय XIV में परिभाषित है और इसलिए, बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 175(3) के अधीन मजिस्ट्रेट/न्यायालय की शक्ति उस अपराध के संबंध में प्रयोग की जा सकती है, जिसका विचारण मजिस्ट्रेट बी.एन.एस.एस., 2023 के अध्याय XIV के अनुसार कर सकता है। बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 175(3) के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति धारा 175(1)/बी.एन.एस.एस., 2023 के अध्याय XIV से क्षेत्राधिकार की दृष्टि से इस प्रकार जुड़ी हुई है कि इसका उपयोग ऐसी विवेचना के लिए बाध्य करने हेतु नहीं किया जा सकता, जिसे स्थानीय पुलिस विधिपूर्वक कभी नहीं कर सकती थी और जिसे मजिस्ट्रेट की अपनी क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के बाहर के किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित नहीं किया जा सकता। ऐसा मजिस्ट्रेट, जो क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अभाव में स्वयं अपराध का विचारण या उपार्षण (किसी अन्य को सौंपना) नहीं कर सकता था, समान रूप से बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 175 को अध्याय XIV के साथ पठित किए जाने के अनुसार, अपने क्षेत्राधिकार से पूर्णतः बाहर के किसी अपराध के संबंध में पुलिस की विवेचना तंत्र को सक्रिय करने में सक्षम नहीं है।

23- यशपाल बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य: 2010:ए.एच.सी.:113134 में इस न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 156(3) के अधीन मजिस्ट्रेट की क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“उपरोक्त रसीकलाल (उपरोक्त) के प्रकरण में निःसंदेह माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मजिस्ट्रेट का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। विवेचना के चरण पर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इस प्रकरण में स्थिति कुछ

भिन्न है, इस प्रकरण में धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अधीन आवेदन पर विचार करने और अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उस पर उचित आदेश पारित करने के लिए मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार का प्रश्न सम्मिलित है। धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अधीन केवल वही मजिस्ट्रेट, जिसे धारा 190 के अधीन संज्ञान लेने की क्षेत्राधिकार प्राप्त है, पुलिस विवेचना का निर्देश देने की शक्ति रखता है। ऐसा मजिस्ट्रेट, जिसे दं.प्र.सं. के अध्याय XIII में सम्मिलित विभिन्न धाराओं में परिकल्पित अपराध की जांच करने या उसका विचारण करने के लिए कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अधीन प्रस्तुत आवेदन में प्रकट अपराध या अपराधों के संबंध में धारा 190 दं.प्र.सं. के अधीन संज्ञान लेने की शक्ति है। अतः, धारा 156(3) के अधीन आवेदन पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट के लिए यह देखना आवश्यक है कि क्या उसके पास धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अधीन प्रस्तुत आवेदन में प्रकट अपराध या अपराधों का धारा 190 दं.प्र.सं. के अधीन संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार है और यदि इसका उत्तर नकारात्मक है, तो धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक बार धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अधीन आदेश पारित हो जाने के पश्चात् पुलिस इस आधार पर विवेचना करने से इनकार नहीं कर सकती कि क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अभाव के कारण उसके पास विवेचना करने की शक्ति नहीं है और यही वह सिद्धांत है, जिसे रसीकलाल के प्रकरण में प्रतिपादित किया गया है।”

24- “अपराध” शब्द को बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 2(क्यू) के अधीन भी परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ वर्तमान में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया कोई कृत्य या लोप है। पुनरीक्षणकर्ता के अनुसार, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा दिनांक 16.7.2024 को अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को एक पत्र जारी किया जाना आरोपित है। उपरोक्त दिनांक 16.7.2024 का पत्र पेपर बुक के पृष्ठ 131 पर संलग्न

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। उपरोक्त पत्र श्रीमती साल्भा सिंघल (प्रतिपक्षी संख्या 3 की पत्नी) के आवेदन का संदर्भ देता है, जिसके द्वारा उपरोक्त श्रीमती साल्भा सिंघल ने किसी प्रतिष्ठित संस्था से विवादित वसीयत पर हस्ताक्षर के सत्यापन का अनुरोध किया था। श्रीमती साल्भा सिंघल का उक्त आवेदन प्रधान सचिव (गृह) को संबोधित था। श्रीमती साल्भा सिंघल का उक्त आवेदन प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को अग्रेषित किया गया था। प्रतिपक्षी संख्या 2 के उपरोक्त दिनांक 16.7.2024 के पत्र के अंश नीचे उद्धृत हैं:-

सुरेश कुमार खन्ना

कार्यालय मुख्य

भवन

कक्ष संख्या-84/85

मंत्री

दूरभाष (का०) 0522-2238061

वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग

0522-2213304

(आ०) 0522-2239753

ई-मेल : mofup2019@gmail.com

दिनांक: 16-7-2024

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कृपया श्रीमती शालभा सिंघल पत्नी श्री निर्विकार सिंघल, निवासिनी-40, पुष्पीप एन्कलेव, फेस-1, सिकन्दरा बोदला रोड, आगरा के संलग्न प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा इन्होंने सतर्कता अधिष्ठान, मेरठ सेक्टर, मेरठ द्वारा पंजीकृत अभियोग में नामित अपने पति के विरुद्ध विषयगत वसीयत पर वसीयतकर्ता द्वारा किये गये हस्ताक्षर की सत्यता की जाँच पुनः किसी प्रमाणिक संस्था से कराकर जांच एवं अभियोग समाप्त कराये जाने का अनुरोध किया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि संलग्न प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

. ह०अपठनीय

.16.07.2024

25- यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 ने उपरोक्त दिनांक 16.7.2024 के पत्र के माध्यम से लंबित विवेचना में हस्तक्षेप किया और उसमें विलंब किया। यह विवादित नहीं है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 का दिनांक 16.7.2024 का शासकीय पत्राचार/पत्र लखनऊ से जारी किया गया था और लखनऊ में स्थित सरकार के अधिकारी को संबोधित था। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा लिखा गया दिनांक 16.7.2024 का पत्र प्रतिपक्षी संख्या 3 के विरुद्ध की जा रही विवेचना से संबंधित है (प्रतिपक्षी संख्या 3 के विरुद्ध पूर्व की दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरठ में दर्ज की गई थी)। तथापि, विवादित संपत्ति (पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट में) मथुरा में स्थित है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



26- पुनरीक्षणकर्ता के अनुसार, प्रतिपक्षी संख्या 2 (जो शाहजहांपुर का निवासी है और लखनऊ में कार्यरत है) द्वारा दिनांक 16.7.2024 को लिखे गए पत्र का कथित कृत्य दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से उद्भूत उस विवेचना के संबंध में है, जो मेरठ में लंबित है। आगे, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा दिनांक 16.7.2024 को पत्र लिखे जाने के कथित कृत्य का यह प्रभाव हुआ कि विवादित वसीयत पर हस्ताक्षर का सत्यापन विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भोपाल में कराया गया और इसके परिणामस्वरूप विवेचना में विलंब और हस्तक्षेप हुआ।

27- बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 175 (3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि उपरोक्त आवेदन में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह आरोप नहीं लगाया गया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा मथुरा में कोई अपराध कारित किया गया है। यह आगे देखा जाना है कि प्रतिपक्षी संख्या 3 के विरुद्ध पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट का विषय-वस्तु एक ऐसी संपत्ति है, जो वृंदावन, मथुरा में स्थित है। तथापि, उपरोक्त दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एक पृथक अपराध गठित करती है, जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरठ में दर्ज की गई है। प्रतिपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध आरोप (जिसके संबंध में एक पृथक अपराध गठित होना आरोपित है) केवल इस आशय का है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 ने दिनांक 16.7.2024 को पत्र लिखकर विवेचना में हस्तक्षेप किया, (प्रतिपक्षी संख्या 3 की पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को लखनऊ में स्थित सरकारी अधिकारी को विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए अग्रेषित किया)।

28- “अपराध” को बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 2(क्यू) के अधीन वर्तमान में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाए गए किसी कृत्य या लोप के रूप में परिभाषित किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा पूर्व की विवेचना (जो मेरठ में लंबित है) में हस्तक्षेप को एक ऐसे कृत्य के रूप में दावा कर रहा है, जो एक अपराध है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



29- इस न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से प्रतिपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध प्रतिपक्षी संख्या 2 के कथित कृत्य के संबंध में लागू होने वाले अपराध के बारे में एक स्पष्ट प्रश्न किए जाने पर, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 ने दिनांक 16.7.2024 को पत्र लिखे जाने के अपने कथित कृत्य के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 12, 13 और बी.एन.एस., 2023 की धारा 61 एवं 45 के अधीन अपराध कारित किया है।

30- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि यद्यपि उपरोक्त दिनांक 16.7.2024 का पत्र प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा लखनऊ में लिखा गया था और पूर्व की दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रतिपक्षी संख्या 3 के विरुद्ध) में विवेचना एवं आपराधिक अभियोजन मेरठ में लंबित था, तथापि, बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 199 के अर्थ में प्रतिपक्षी संख्या 2 के उपरोक्त कृत्य के परिणाम जिला-मथुरा में उत्पन्न होते हैं। अतः, मथुरा के न्यायालय को पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन पर विचार करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था।

31- राज्य की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता और प्रतिपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह रुख अपनाया है कि वास्तव में प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आगे, मथुरा में कोई परिणाम उत्पन्न नहीं होता है और इसलिए, प्रथम दृष्टया न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

32- प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा लिखे गए दिनांक 16.7.2024 के पत्र (पेपर बुक के पृष्ठ 131 पर) के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि उपरोक्त पत्र अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को संबोधित था। यह भी पक्षकारों के मध्य विवादित नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार का गृह विभाग लखनऊ में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। अतः, प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा पत्र लखनऊ में लिखा गया था और लखनऊ में स्थित सरकार के एक कार्यालय को भेजा गया था।

33- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यद्यपि उपरोक्त दिनांक 16.7.2024 का पत्र लखनऊ में लिखा गया था और लखनऊ में स्थित गृह विभाग को संबोधित था, तथापि, प्रतिपक्षी संख्या 2 के उपरोक्त पत्र का परिणाम पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट की विवेचना में हस्तक्षेप और विलंब हैं।

34- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मथुरा के न्यायालय के समक्ष क्षेत्राधिकार प्रदान करने के लिए बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 199 पर भरोसा किया है। बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 199 नीचे उद्धृत है:-

“199. अपराध, जहाँ कृत्य किया गया है या परिणाम उत्पन्न हुआ है, वहाँ विचारणीय होगा—जब कोई कृत्य किसी ऐसी बात के कारण अपराध है, जो की गई है और किसी ऐसे परिणाम के कारण जो उत्पन्न हुआ है, तब अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसी बात की गई है या ऐसा परिणाम उत्पन्न हुआ है।”

35- बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 199 को लागू करने के लिए निम्नलिखित तत्वों का स्थापित किया जाना आवश्यक है:

ए) कोई कृत्य किया गया है। कथित अपराध का भाग बनने वाला कोई सकारात्मक कृत्य या लोप होना चाहिए।

बी) कृत्य किसी की गई बात के कारण अपराध गठित करता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सी) कोई परिणाम उत्पन्न हुआ है।

36- उपरोक्त धारा यह परिकल्पित करती है कि जहाँ दो न्यायालयों को क्षेत्राधिकार प्राप्त है, वहाँ विचारण उन दोनों में से किसी एक न्यायालय में किए जाने की अनुमति है। एक वह न्यायालय है, जिसकी स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर कृत्य/अपराध किया गया है और दूसरा वह न्यायालय है, जिसकी स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर परिणाम उत्पन्न हुआ है।

37- वर्तमान प्रकरण में, प्रतिपक्षी संख्या 2 के आपत्तिजनक दिनांक 16.7.2024 के पत्र को पूर्व की विवेचना में हस्तक्षेप के रूप में कहा जा रहा है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 का उपरोक्त दिनांक 16.7.2024 का पत्र लखनऊ में लिखा गया था। तथापि, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उपरोक्त दिनांक 16.7.2024 के पत्र के परिणाम मथुरा में उत्पन्न होते हैं, इस तथ्य के कारण कि विवादित संपत्ति (पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट में) मथुरा में स्थित है। प्रतिपक्षी संख्या 3 के विरुद्ध पूर्व की दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप यह है कि विवादित संपत्ति कूटरचित वसीयत के आधार पर प्रतिपक्षी संख्या 3 के पिता के नाम दर्ज की गई है। यह भी पक्षकारों के मध्य विवादित नहीं है कि पूर्व की दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में विवेचना मेरठ में है और आपराधिक अभियोजन भी मेरठ में चल रहा है।

38-बीएनएसएस, 2023 की धारा 199 की प्रयोज्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। किसी कृत्य (अपराध) से उत्पन्न होने वाले परिणाम अभियुक्त द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेंगे। बीएनएसएस, 2023 की धारा 199 के अनुसार, जब कोई कृत्य किसी ऐसी बात के कारण अपराध है जो की गई है और जिसके परिणाम उत्पन्न हुए हैं, तब किया गया कृत्य और उत्पन्न हुए परिणाम, दोनों अपराध का अभिन्न अंग

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

होने चाहिए। “जो कुछ किया गया है” तथा “जो परिणाम उत्पन्न हुआ है” अभिव्यक्तियों के बीच “और” शब्द का प्रयोग इस बात का द्योतक है कि किया गया कृत्य और उत्पन्न हुए परिणाम अपराध का हिस्सा होने चाहिए। अतः, परिणाम अपराध का अभिन्न अंग होना चाहिए, जिसका तात्पर्य यह है कि उसे विधि के अनुसार कथित अपराध की परिभाषा को पूर्ण करना चाहिए। उदाहरण के लिए-यदि ए को न्यायालय एक्स के अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर चोट पहुँचाई जाती है और उसकी मृत्यु न्यायालय जेड के अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर होती है, तो ए की आपराधिक मानव-वध की घटना की जाँच या विचारण या तो एक्स द्वारा या जेड द्वारा किया जा सकता है। उत्पन्न होने वाला परिणाम सामान्यतः ऐसा विधिक रूप से प्रासंगिक परिणाम होना चाहिए, जो कथित अपराध का भाग हो या उससे संबंधित हो। मात्र दूरस्थ, आकस्मिक या पूर्णतः आनुषंगिक परिणाम सामान्यतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करेगा। “परिणाम” अपराध का भाग होना चाहिए या उस अपराध के संबंध में अभियुक्त के आपराधिक दायित्व के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। यदि कोई अभियुक्त स्थान ए पर अपराध करता है और पीड़ित बाद में स्थान बी पर चिंता, रोजगार की हानि या सामाजिक कठिनाई का अनुभव करता है, तो वे प्रभाव स्वतः ही स्थान बी के न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करेंगे।

39- इस संबंध में, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने काशी राम मेहता बनाम एम्परर, ए.आई.आर. 1934 इलाहाबाद 499 में दं.प्र.सं. की धारा 179 (जो उसी विषय-वस्तु की विधि है) के संबंध में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

“8-किंतु हमारे विचारार्थ मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि यदि धारा 179 लागू होती है, तो क्या उसे धारा 181 की उप-धारा (1) द्वारा अध्यारोपित कर दिया गया है, बल्कि यह है कि क्या धारा 179 इस मामले में बिल्कुल भी लागू होती है। उस धारा में प्रयुक्त अभिव्यक्ति

“जो कोई परिणाम उत्पन्न हुआ है” का स्पष्ट अर्थ “किसी परिणाम आदि के कारण” है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"का" शब्द की पुनरावृत्ति इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती कि पूर्वसर्गीय वाक्यांश "के कारण" "परिणाम" पर भी लागू होता है। इस दृष्टिकोण से धारा का केवल एक ही अर्थ हो सकता है, अर्थात्, अपराध का किया जाना "जो कुछ किया गया है और जो कोई परिणाम उत्पन्न हुआ है, दोनों के कारण" होना चाहिए। एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य यह है कि "या" शब्द के स्थान पर "और" शब्द का प्रयोग किया गया है। वास्तव में, यदि किसी बात का किया जाना अपने आप में इस धारा में परिकल्पित अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त होता, तो "जो परिणाम उत्पन्न हुआ है" वाली अभिव्यक्ति को उस स्थान पर, जहाँ वह प्रयुक्त हुई है, रखने का कोई अवसर नहीं होता; उसका उल्लेख धारा के अंत में करना ही पर्याप्त होता, जहाँ उसका पहले से ही उल्लेख किया गया है। अतः यदि किए गए कृत्य और उत्पन्न हुए परिणाम को मिलकर उस अपराध का गठन करने वाला माना जाना है, जिसकी शिकायत की गई है, तो यह आवश्यक रूप से निष्कर्ष निकलता है कि धारा 179 को लागू करने के लिए परिणाम अपराध का आवश्यक अवयव होना चाहिए। यदि कृत्य किए जाने के कारण अपराध स्वयं पूर्ण हो जाता है और परिणाम उसका मात्र ऐसा फल है, जो अपराध की पूर्णता के लिए आवश्यक नहीं था, तो धारा 179 लागू नहीं होगी। धारा के उदाहरण भी यह स्पष्ट करते हैं कि धारा में परिकल्पित परिणाम ऐसा परिणाम है, जो किए गए कृत्य के साथ संयुक्त होकर अपराध का गठन करता है। किंतु यदि दोनों को पृथक किया जा सकता है और कृत्य स्वयं अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त है, तो इससे धारा अनुप्रयोज्य हो जाएगी।

40- वर्तमान प्रकरण में बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 199 के संदर्भ में उत्पन्न क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर विचार करने के लिए, प्रतिपक्षी संख्या 2 के कथित कृत्य से लागू होने वाले अपराध की प्रकृति और उत्पन्न हुए परिणामों की जांच करना अनिवार्य है, क्योंकि जैसा कि ऊपर चर्चा की अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गई है, कथित कृत्य और परिणामों के बीच प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा दिनांक 16.7.2024 को पत्र लिखा जाना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के अधीन भी एक अपराध है और परिणाम विवेचना में विलंब/विवेचना में हस्तक्षेप है। प्रतिपक्षी संख्या 2 के कथित कृत्य के परिणामों के निर्धारण के लिए यह जांच करना अनिवार्य है कि क्या प्रतिपक्षी संख्या 2 का कथित कृत्य (दिनांक 16.7.2024 का पत्र लिखा जाना) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) को आकर्षित करेगा, ताकि उत्पन्न हुए परिणामों का निर्धारण किया जा सके। इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 नीचे उद्धृत है:-

“13. लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार।—

(1) किसी लोक सेवक के बारे में कहा जाता है कि वह आपराधिक कदाचार का अपराध करता है,—

(ए) यदि वह बेईमानी से या कपटपूर्वक उसे सौंपी गई किसी संपत्ति या लोक सेवक के रूप में उसके नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का दुर्विनियोजन करता है या अन्यथा अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है; या

(बी) यदि वह अपने पद की अवधि के दौरान जानबूझकर स्वयं को अवैध रूप से समृद्ध करता है।

स्पष्टीकरण 1.—किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि उसने जानबूझकर स्वयं को अवैध रूप से समृद्ध किया है यदि वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति, उसके पद की अवधि के दौरान किसी भी समय, उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से असंगत धन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संबंधी संसाधनों या संपत्ति के कब्जे में है या रहा है, जिसका लोक सेवक संतोषजनक रूप से लेखा नहीं दे सकता।

स्पष्टीकरण 2.—“आय के ज्ञात स्रोत” अभिव्यक्ति का अर्थ किसी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय है।

(2) कोई लोक सेवक जो आपराधिक कदाचार करता है, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि चार वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकती है, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।”

41- वर्तमान प्रकरण में, पुनरीक्षणकर्ता ने प्रतिपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 175 (3) के अधीन इस आरोप के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया कि प्रतिपक्षी संख्या 2 ने दिनांक 16.7.2024 को एक पत्र लिखा है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट की विवेचना में हस्तक्षेप और विलंब हुआ है। प्रतिपक्षी संख्या 2 का उक्त पत्र दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से उद्भूत पूर्व की विवेचना के संदर्भ में है, जिसमें विवादित संपत्ति के संबंध में प्रतिपक्षी संख्या 3 के विरुद्ध आरोप उत्पन्न हुआ था।

42- संबंधित न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता के बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 175 (3) के अधीन आवेदन में यह आरोप नहीं लगाया गया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 ने बेईमानी से या कपटपूर्वक उसे सौंपी गई किसी संपत्ति या लोक सेवक के रूप में उसके नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का दुर्विनियोजन किया है या अन्यथा अपने उपयोग के लिए परिवर्तित किया है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने दिया है। आगे, प्रथम दृष्टया न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता के उक्त आवेदन में यह भी आरोप नहीं लगाया गया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 ने अपने पद की अवधि के दौरान जानबूझकर स्वयं को अवैध रूप से समृद्ध किया है। आरोप दिनांक 16.7.2024 को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा पत्र लिखे जाने के कृत्य द्वारा दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से उद्भूत लंबित विवेचना में विलंब और हस्तक्षेप का है।

43- विवादित संपत्ति के संबंध में दुर्विनियोग अथवा पद के दुरुपयोग का अभिकथन प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध है (जो दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ है, न कि वर्तमान प्रकरण में)। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह दर्शित नहीं किया गया है कि दिनांक 7.4.2022 की पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 2 अभियुक्त है। यह तब की बात है, जब दिनांक 7.4.2022 की पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट की विवेचना प्रचलित थी (अर्थात् दिनांक 7.4.2022 की पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा कथित अपराध के कारित किए जाने के पश्चात), तब यह अभिकथित किया कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ को उपरोक्त पत्र दिनांक 16.7.2024 लिखा (जिसमें विधि के अनुसार विचारण करने हेतु प्रतिवादी संख्या 3 की पत्नी के आवेदन को अग्रसारित किया गया था)। इसमें (पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट में विवादित संपत्ति के संबंध में) विवादित वसीयत के किसी प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा पुनः परीक्षण कराने का अनुरोध था। उक्त अभिकथन को किसी भी दृष्टिकोण से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के अंतर्गत अपराध गठित करने वाला नहीं कहा जा सकता।

44- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार जो पारिणामिक प्रभाव उत्पन्न होता है, वह दिनांक 7.4.2022 की पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट के विवेचना में विलंब तथा हस्तक्षेप है। ऐसे अभिकथन (विवेचना में विलंब तथा हस्तक्षेप) को भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 199 के शर्तों के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के अधीन अपराध के अंग के रूप में प्रतिवादी संख्या 2 के कथित कृत्य का परिणाम नहीं माना जा सकता। जैसा कि उपरोक्त टिप्पणी किया गया है, परिणाम को अभिकथित अपराध का अभिन्न अंग होना चाहिए तथा उसे अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभिकथित अपराध की परिभाषा को पूर्ण करना चाहिए। अतः, अभिकथित परिणामों (विवेचना में विलंब एवं हस्तक्षेप) का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के अधीन अपराध से कोई सीधा संबंध या पारिणामिक प्रभाव नहीं है। उपरोक्त के आलोक में, जब ऊपर विस्तार से वर्णित अनुसार कोई अपराध गठित नहीं हुआ है और कोई परिणाम उद्भूत नहीं हुआ है, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के अंतर्गत अपराध से उत्पन्न क्षेत्राधिकार का प्रश्न मथुरा में उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 12 लागू नहीं होगी, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध के दुष्प्रेरण का कोई अभिकथन नहीं है।

45- अन्यथा भी, उपरोक्त पत्र दिनांक 16.7.2024 के परिणामस्वरूप विवेचना में विलंब और हस्तक्षेप का परिणाम ऐसा कोई कृत्य/अपराध नहीं है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किसी अपराध से किसी भी रीति से संबंधित हो। विशेष रूप से तब, जब भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 175(3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई अभिकथन नहीं है। यह सुस्थापित विधि है कि आपराधिक तंत्र को मात्र संदेह के आधार पर गतिमान नहीं किया जा सकता, अपितु इसके लिए उन आधारभूत तथ्यों एवं सामग्रियों का होना आवश्यक है, जो अपराध का गठन करते हैं। पूर्वोक्त के दृष्टिगत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन ऐसा कोई अपराध कारित नहीं हुआ और/या ऐसा कोई परिणाम उद्भूत नहीं हुआ, जिसे कहा जा सके कि वह मथुरा स्थित संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर उद्भूत हुआ है।

46- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भा.न.सं., 2023 की धारा 61 का भी संदर्भ देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 का कथित कृत्य भा.न.सं., 2023 की धारा 61 के अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंतर्गत अपराध है। यह भी कथन किया गया है कि जो परिणाम उद्भूत होते हैं, वे पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में विवेचना में विलंब और हस्तक्षेप हैं। भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 199 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रश्न अपराध और उससे उद्भूत होने वाले परिणामों के अवधारण पर आधारित होता है। प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध अभिकथन यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 16.7.2024, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 7.4.2022 से उत्पन्न प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध विवेचना में हस्तक्षेप तथा विलंब के समान है। प्रतिवादी संख्या 2 के उक्त कृत्य को भा.न.सं., 2023 की धारा 61 के अधीन अपराध की संज्ञा दी गई है।

47- प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 16.7.2024 को पत्र लिखा जाना भा.न.सं., 2023 की धारा 61 के अधीन एक अपराध होगा, जिससे उसके परिणामस्वरूप (विवेचना में विलंब और हस्तक्षेप के) उत्पन्न होने वाले परिणाम मथुरा के न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान करेंगे। पुनरीक्षणकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 16.7.2024 को पत्र लिखा जाना विवेचना में हस्तक्षेप का एक अवैध कृत्य है। प्रतिवादी संख्या 2 के उपरोक्त दिनांक 16.7.2024 के पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ को संबोधित उक्त पत्र के माध्यम से श्रीमती शाल्भा सिंघल के पत्र का संदर्भ दिया है (जो मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को संबोधित था (पेपर बुक के पृष्ठ 132 पर संलग्न है)), जिसके द्वारा उन्होंने किसी विश्वसनीय एजेंसी या संस्था से विवादित दस्तावेज पर हस्ताक्षर के सत्यापन का अनुरोध किया था और प्रतिवादी संख्या 2 ने केवल उसे अग्रसारित किया है और संबंधित विभाग द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया है। उक्त दिनांक 16.7.2024 के पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 का उपरोक्त पत्र विवेचना एजेंसियों को (जो मेरठ में हैं)

जारी नहीं किया गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग, लखनऊ को भेजा गया है, जहाँ

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रतिवादी संख्या 3 की पत्नी का दिनांक 18.2.2024 का प्रत्यावेदन/आवेदन पहले से ही लंबित था।

48- यह भी ध्यान दिया जाना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अनु-सचिव ने अपने दिनांक 24.10.2024 के पत्र में प्रतिवादी संख्या 2 के दिनांक 16.7.2024 के पत्र का संदर्भ दिया है और दिनांक 18.2.2024 एवं 23.7.2024 के प्रत्यावेदन संलग्न किए हैं (प्रतिवादी संख्या 3 का दिनांक 23.7.2024 का प्रत्यावेदन प्रतिवादी संख्या 2 के दिनांक 16.7.2024 के पत्र का भाग नहीं है, क्योंकि इसे दिनांक 16.7.2024 के पत्र के पश्चात् लिखा गया है)। प्रतिवादी संख्या 3 की पत्नी और प्रतिवादी संख्या 3 के उपरोक्त प्रत्यावेदन के अनुसरण में, अनु-सचिव ने दिनांक 24.10.2024 के पत्र द्वारा निदेशक, उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग, लखनऊ को दिनांक 7.4.2022 के पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट से उद्भूत विवादित दस्तावेज (प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध) के सत्यापन के लिए केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा धारा 173(8) दं.प्र.सं. के अनुसार आगे की विवेचना किए जाने हेतु निर्देशित किया है।

49- प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि पूर्व की दिनांक 7.4.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में विवेचना एजेंसी ने विवेचना पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 4.10.2024 को मेरठ के संबंधित न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 7.10.2024 को मेरठ के संबंधित न्यायालय द्वारा संज्ञान एवं समन आदेश (प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध) पारित किया गया है। इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तथ्य पर विवाद नहीं किया गया है।

50- राज्य सरकार (गृह विभाग) द्वारा आगे की विवेचना के लिए दिनांक 24.10.2024 का पत्र मेरठ के संबंधित न्यायालय के समक्ष विवेचना एजेंसी द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पश्चात् (पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट में) और दिनांक 7.10.2024 को मेरठ के संबंधित न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के पश्चात् जारी किया गया है। अतः, ऐसी परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 7.4.2022 की पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट की विवेचना में हस्तक्षेप किया है या उसमें विलंब किया है।

51- अन्यथा भी, राज्य सरकार के दिनांक 24.10.2024 के पत्र में केवल धारा 173(8) दं.प्र.सं. का संदर्भ देते हुए विवादित दस्तावेज को विवादित दस्तावेज पर हस्ताक्षर के सत्यापन के लिए केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजकर आगे की विवेचना के किए जाने का उल्लेख है। यह विवादित नहीं है कि विवेचना के दौरान विवादित दस्तावेज का परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा द्वारा किया गया था और पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा की उपरोक्त रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध थी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.10.2024 का पत्र जारी किए जाने से पूर्व, पूर्व की विवेचना में दिनांक 4.10.2024 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था और संबंधित न्यायालय ने उस पर दिनांक को संज्ञान लिया था। आगे, श्रीमती साल्भा सिंघल (प्रतिवादी संख्या 3 की पत्नी) ने अपना दिनांक 18.2.2024 का पत्र मुख्य सचिव (गृह), उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया था, न कि प्रतिवादी संख्या 2 को प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी संख्या 2 ने केवल श्रीमती साल्भा सिंघल के पत्र को विधि अनुसार कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को अग्रेषित किया था। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि दिनांक 7.4.2022 की पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट में विवेचना के पश्चात् विवेचना एजेंसी द्वारा दिनांक 4.10.2024 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था और संबंधित न्यायालय ने दिनांक 7.10.2024 को मेरठ में संज्ञान लिया था।

52- यह भी ध्यान दिया जाना है कि किसी आपराधिक प्रकरण में आगे की विवेचना विधि द्वारा निर्धारित एक वैधानिक प्रक्रिया है, राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा उपरोक्त वैधानिक अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रक्रिया का आह्वान अपने आप में विवेचना में हस्तक्षेप के समान नहीं हो सकता। आगे, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि दिनांक 24.10.2024 के आदेश को किसी विधि के न्यायालय द्वारा अवैध या विधि के विरुद्ध अभिनिर्धारित किया गया है। यह स्थापित विधि है कि शासकीय कृत्यों को नियमित रूप से किए जाने की उपधारणा होती है और प्रारंभिक भार सामान्यतः आदेश को चुनौती देने वाले व्यक्ति पर होता है।

53- भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 199 वहाँ लागू होती है, जहाँ कोई कृत्य किसी किए गए कार्य तथा उससे उद्भूत परिणाम, दोनों के ही कारण अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे प्रकरण में, अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर या तो संबंधित कृत्य किया गया हो या परिणाम उत्पन्न हुआ हो। वर्तमान प्रकरण में, कथित अपराध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61 के अधीन आपराधिक षड्यंत्र है। धारा 61 में दो या अधिक व्यक्तियों के बीच किसी अवैध कृत्य को करने या करवाने अथवा ऐसे कृत्य को, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए अनुबंध किया जाना अपेक्षित है। प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है, वह प्रतिवादी संख्या 2 का दिनांक 16.07.2024 का पत्र है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 की पत्नी द्वारा किए गए अनुरोध/प्रत्यावेदन को केवल विधि अनुसार उचित कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को अग्रसारित किया गया था। आगे की विवेचना के संबंध में कथित निर्णय लेने वाला प्राधिकारी सरकार का एक भिन्न विभाग था। परिणामस्वरूप, प्रत्यावेदन का अग्रेशन अपने आप में मेरठ में की जा रही विवेचना में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता।

54- यह भी ध्यान दिया जाना है कि प्रतिवादी संख्या 2 एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और इसलिए, नागरिक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं।
अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्वाचित प्रतिनिधि, बदले में, ऐसी शिकायत को विचार और विधि अनुसार कार्यवाही के लिए सक्षम विभाग को अग्रेषित कर सकता है। किसी नागरिक की शिकायत को मात्र अग्रेषित किया जाना, (प्रत्यावेदन करने वाले व्यक्ति के पक्ष में किसी सकारात्मक या बलपूर्वक निर्देश के अभाव में), किसी अवैध कृत्य को करने या अवैध परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी करार को प्रकट नहीं करता है। वर्तमान प्रकरण में, दिनांक 16.07.2024 के पत्र में विवेचना में विलंब, बाधा या अन्यथा हस्तक्षेप करने के लिए कोई सकारात्मक निर्देश, आदेश या अनुदेश नहीं है। इसमें केवल यह संस्तुति या अनुरोध किया गया है कि विधि अनुसार कार्यवाही की जाए। अतः, उक्त दिनांक 16.7.2024 का पत्र और प्रतिवादी संख्या 2 का कृत्य भा.न.सं., 2023 की धारा 61 के अधीन आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्वों को प्रकट नहीं करता है।

55- उपरोक्त के दृष्टिगत, दिनांक 16.07.2024 का पत्र, जो विधि अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए किसी प्रत्यावेदन का मात्र अग्रेषण है, किसी अवैध कृत्य को करने या अवैध साधनों को अपनाने के लिए किसी सहमति को प्रकट नहीं करता है। अतः, यह भा.न.सं., 2023 की धारा 61 के अधीन कोई अपराध गठित नहीं करता है और, परिणामस्वरूप, भा.न.सं., 2023 की धारा 61 के संबंध में कथित कृत्य से कोई परिणाम उत्पन्न होना नहीं कहा जा सकता है। आगे, विवेचना मेरठ में की गई थी और मथुरा में नहीं तथा मथुरा में कथित अपराध गठित करने वाला कोई परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ। फलतः, भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 199 लागू नहीं होती है, क्योंकि न तो कथित आपराधिक कृत्य और न ही ऐसे कृत्य का कोई विधिक रूप से सुसंगत परिणाम मथुरा के न्यायालय की क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर हुआ। यह तथ्य कि प्रत्यावेदन पर आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने और संज्ञान लिए जाने के पश्चात् ही कार्यवाही की गई थी, विवेचना में विलंब या हस्तक्षेप का कोई भी अभिकथन स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

56- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 45 और 49 पर यह अभिकथन करते हुए भरोसा किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 का कृत्य दुष्प्रेरण गठित करता है। भा.न.सं., 2023 की धारा 45 दुष्प्रेरण से संबंधित है, जबकि धारा 49 वहाँ दंड का उपबंध करती है, जहाँ दुष्प्रेरित कृत्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है। अतः, प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 16.07.2024 का पत्र किसी अपराध के दुष्प्रेरण के समान है और, यदि ऐसा है, तो क्या कोई अपराध या विधिक रूप से सुसंगत परिणाम मथुरा की क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न हुआ है।

57- प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध आरोप, प्रतिवादी संख्या 3 की पत्नी द्वारा प्रस्तुत उस प्रत्यावेदन को गृह विभाग को अग्रेषित करने तक सीमित है, जिसमें पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आगे की विवेचना किए जाने का अनुरोध किया गया था। प्रत्यावेदन में किसी प्रतिष्ठित प्रयोगशाला के माध्यम से विवादित हस्ताक्षर के सत्यापन का अनुरोध किया गया था। ऐसा अनुरोध भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 173(8) के अधीन आगे की विवेचना की वैधानिक शक्ति से संबंधित है और वैधानिक उपबंध विधि अनुसार आगे की विवेचना की अनुमति देता है। आगे की विवेचना की वैधानिक शक्ति का प्रयोग अपने आप में भा.न.सं., 2023 के अधीन कोई अपराध गठित नहीं कर सकता और न ही ऐसी विधिसम्मत कार्यवाही के अनुरोध को अग्रेषित करना दुष्प्रेरण, जानबूझकर सहायता या षड्यंत्र के समान हो सकता है, विशेष रूप से तब, जब प्रतिवादी संख्या 2 के दिनांक 16.07.2024 के पत्र में केवल सक्षम विभाग से विधि अनुसार कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया था और उसमें कोई सकारात्मक या अवैध निर्देश नहीं था। केवल यह तथ्य कि प्रत्यावेदन या उसके पश्चात् किया गया पत्राचार अप्रत्यक्ष रूप से और दूरस्थ रूप से मथुरा की संपत्ति से संबंधित है, यह स्थापित नहीं करता है कि भा.न.सं. की धाराओं 45 या 49 के अधीन कोई अपराध या उसका कोई विधिक रूप से सुसंगत परिणाम मथुरा में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उत्पन्न हुआ। आगे, प्रतिवादी संख्या 2 के कथित कृत्य (प्रतिवादी संख्या 3 की पत्नी के प्रत्यावेदन को अग्रेषित करने) के परिणाम और दिनांक 24.10.2024 के पत्र के अनुसार विभाग द्वारा वैधानिक शक्ति के अंतर्गत आगे की विवेचना का तत्पश्चात् किया गया प्रयोग, जब संबंधित न्यायालय द्वारा दिनांक 7.10.2024 को मेरठ में संज्ञान लिया जा चुका था, इस बात के समान नहीं है कि कथित कृत्य का कोई परिणाम मथुरा में हुआ है।

58- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे भा.न.सं., 2023 की धारा 60 पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कारित अपराध के रूप में संदर्भित किया है। भा.न.सं., 2023 की धारा 60 ऐसे व्यक्ति से संबंधित है, जो किसी ऐसे अपराध के कारित किए जाने को सुकर बनाने के आशय से या यह जानते हुए कि उसके द्वारा ऐसा किया जाना ऐसे अपराध के कारित किए जाने को सुकर बनाने की संभावना है, जो कारावास से दंडनीय है, स्वेच्छा से किसी कृत्य या अवैध लोप द्वारा ऐसे अपराध को करने की किसी योजना के अस्तित्व को छिपाता है, या ऐसी योजना के संबंध में, जिसके बनाए जाने की वह जानकारी रखता है, कोई ऐसा अभ्यावेदन करता है, जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है, और इसे दंडनीय बनाया गया है। वर्तमान प्रकरण में दिनांक 16.7.2024 का पत्र लिखे जाने द्वारा कारावास से दंडनीय किसी अपराध के कारित किए जाने को सुकर बनाने के संबंध में कोई अभिकथन नहीं है। यह भी प्रकरण नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कोई छिपाव किया गया है या किसी अपराध को करने की किसी योजना का अस्तित्व था या ऐसे अपराध को कारित करने के लिए ऐसी योजना के संबंध में कोई मिथ्या अभ्यावेदन किया गया है। जब की गई बात और उसके परिणाम अपराध नहीं हैं, तब प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 199 लागू नहीं होगी और इसी कारण प्रतिवादी संख्या 2 के कथित कृत्य का कोई परिणाम मथुरा में उत्पन्न नहीं हुआ।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



59- यह भी ध्यान दिया जाना है कि यह मान भी लिया जाए कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 16.7.2024 को पत्र लिखे जाने का कथित कृत्य एक अपराध है और पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उत्पन्न हुए परिणाम दिनांक 7.4.2022 की पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट से उद्भूत विवेचना में हस्तक्षेप और विवेचना में विलंब हैं, जो प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध मेरठ में दर्ज की गई थी। यह भी विवादित नहीं है कि पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट में विवेचना मेरठ में की जा रही थी। पुनरीक्षणकर्ता के अनुसार उत्पन्न हुए परिणाम मेरठ में लंबित विवेचना में विलंब और हस्तक्षेप हैं। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क प्रस्तुत करना कि मेरठ में दर्ज पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट मथुरा में स्थित संपत्ति के संबंध में है और, उपरोक्त आधार पर, यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 के कृत्य के संबंध में परिणाम भी मथुरा में उत्पन्न हुए, न केवल दूरस्थ है, बल्कि प्रतिवादी संख्या 2 के कथित कृत्य के साथ ऐसा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जिससे भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 199 के अर्थ में परिणाम उत्पन्न होना गठित हो। यह भी विवादित नहीं है कि पूर्व की विवेचना में विवादित दस्तावेज पर हस्ताक्षर का परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा द्वारा की गई थी और मथुरा में नहीं की गई थी।

60- विलंबित विवेचना के साथ-साथ विवेचना में हस्तक्षेप के रूप में कथित रूप से उत्पन्न होने वाले परिणाम अन्यथा भी मेरठ से संबंधित हैं, क्योंकि विवेचना मेरठ में लंबित थी। यह भी ध्यान दिया जाना है कि प्रतिवादी संख्या 2 का दिनांक 16.7.2024 का पत्र विवादित हस्ताक्षर को केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजकर आगे की विवेचना किए जाने का निर्देश नहीं देता है। यह दिनांक 24.10.2024 का पत्र है, जो विधि अनुसार आगे की विवेचना किए जाने का निर्देश देता है। उपरोक्त दिनांक 24.10.2024 का पत्र प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नहीं लिखा गया है। अतः, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 16.7.2024 को पत्र लिखे जाने के कृत्य के अधिक से अधिक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह परिणाम हो सकता था कि राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा लखनऊ में दिनांक 24.10.2024 का पत्र जारी किया जाए।

61- यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अग्रिम विवेचना दिनांक 24.10.2024 के पत्र का परिणाम है, जो प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नहीं लिखा गया था और, इसलिए, विवेचना में कथित विलंब/हस्तक्षेप को प्रतिवादी संख्या 2 के कृत्य के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखने वाला नहीं माना जा सकता है, क्योंकि दिनांक 24.10.2024 का पत्र प्रतिवादी संख्या 3 की पत्नी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के आधार पर जारी किया गया है। मथुरा में विवादित संपत्ति की स्थिति का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 के कृत्य का कोई परिणाम मथुरा में उत्पन्न होना नहीं कहा जा सकता है। आगे, मथुरा में विवादित संपत्ति मेरठ में दिनांक 7.4.2022 की पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट का विषय-वस्तु है। तथापि, प्रतिवादी संख्या 2 के कथित कृत्य का मथुरा की संपत्ति के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। आगे, दिनांक 7.4.2022 की पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था और मेरठ के संबंधित न्यायालय ने दिनांक 7.10.2024 (अर्थात् दिनांक 24.10.2024 को आगे की विवेचना का निर्देश देने वाला पत्र जारी किए जाने से पूर्व) को संज्ञान लिया है।

62- उपरोक्त के दृष्टिगत, विचारण न्यायालय ने दिनांक 6.6.2025 के आक्षेपित आदेश द्वारा भा.ना.सु.सं., 2023 की धारा 175 (3) के अधीन याचिकाकर्ता के आवेदन को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं किया है और इस प्रकार पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण में कोई गुण-दोष नहीं है और एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(विक्रम डी. चौहान, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3 सितंबर, 2026

भास्कर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।